

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

(१०)

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2915 एवं 2916-एक/2016

विरुद्ध आदेश दिनांक 11-8-2016 - पारित द्वारा -

तहसीलदार मुरैना जिला मुरैना - प्रकरण क्रमांक

13/2015-16 अ-27 एवं प्रकरण क्रमांक 14/2015-16

अ-27

(1) दोनों निगरानी प्रकरणों के पक्षकार

रामनिवास पुत्र रामचरण ब्राहमण

ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना

---आवेदक

विरुद्ध

1- ओमप्रकाश पुत्र रामचरण ब्राहमण

ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना

---असल अनावेदक

2- दिलीप कुमार 3- संजय 4- शिशुपाल

5- बृजकिशोर 6- देशराज पुत्रगण लक्ष्मीनारायण

7- आशीष पुत्र दिलीपकुमार

8- श्रीमती अनिता पत्नि दिलीपकुमार

9- श्रीमती त्रिवेणी पत्नि लक्ष्मीनारायण

10- मधु पुत्री लक्ष्मीनारायण

सभी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम शिकारपुर

तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश

---तरीवी अनावेदकगण



L

-2- (1) प्र०क० 2915-एक/16 निग०
(2) प्र०क० 2916-एक/16 निग०

दोनों प्रकरणों में

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के०अवस्थी)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री एस०के०बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 8 - 12-2016 को पारित)

यह दो निगरानी तहसीलदार, मुरैना के 13/2015-16 अ-27 एवं प्रकरण क्रमांक 14/2015-16 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 11-8-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण क्रमांक 2915-एक/16 निगरानी का सारौंश यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 ने आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-2 लगायत 10 के बीच ग्राम सिकारपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 446, 448, 449, 450 एवं गोत व सर्वे क्रमांक 274 स्थित मकान के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 13 अ-27/2015-16 पर पंजीबद्ध करके कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध स्वत्व के विनिश्चय हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 38 ए/14 ई०दी० प्रचलित है इसलिये स्वत्व के विवाद का निराकरण होने तक विभाजन कार्यवाही स्थगित की जाय। तहसीलदार मुरैना ने इस आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश





-3- (1) प्र०क० 2915-एक/16 निग०


(2) प्र०क० 2916-एक/16 निग०

दिनांक 8-11-16 पारित किया तथा निर्णय लिया कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है। पटवारी मौजा से फर्द तलब हो। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

प्रकरण क्रमांक 2916-एक/2016 निगरानी का सारोश यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 ने आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-2 लगायत 10 के बीच ग्राम छोंदा की भूमि सर्वे क्रमांक 144, 154, 975 के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 14 अ-27/2015-14 पर पंजीबद्ध करके कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व के विनिश्चय हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 38 ए/14 ई०दी० प्रचलित है इसलिये स्वत्व के विवाद का निराकरण होने तक विभाजन कार्यवाही स्थगित की जाय। तहसीलदार मुरैना ने इस आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-16 पारित किया तथा निर्णय लिया कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है। पटवारी मौजा से फर्द तलब हो। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ दोनों निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 13 अ-27/2015-16 एवं 14 अ-27/2015-16 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं





-4- (1) प्र०क० 2915-एक/16 निग०
(2) प्र०क० 2915-एक/16 निग०

तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 13 अ-27/2015-16 एवं 14 अ-27/2015-16 में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ओमप्रकाश पुत्र रामचरण ने तहसीलदार के समक्ष उपरोक्त पद 3 में वर्णित अनुसार ग्राम शिकारपुर एवं ग्राम छोटा की भूमि के बटवारे का दावा किया है जिस पर आवेदक की आपत्ति है कि जब तक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 38 ए/14 ई०दी० संस्थित दिनांक 2-5-16 से स्वत्व का विनिश्चय नहीं हो जाता है वाद विचारित भूमियों का बटवारा नहीं किया जा सकता, जबकि तहसीलदार मुरैना का आदेश दिनांक 11-8-2016 में मानना, कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है, इसलिये बटवारा कार्यवाही की जावेगी और यही निर्णय लेकर उन्होंने हलका पटवारी से बटवारे की फर्द मांगी है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 38 ए/14 ई०दी० संस्थित दिनांक 2-5-16 में हुये आदेश दिनांक 27-8-18 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें निर्णीत है कि -

” उपरोक्त विवेचना से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि वादी (निगरानी का आवेदक) ग्राम छोटा की वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क-1 (निगरानी का अनावेदक क-1) के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणाम स्वरूप वादी का आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 से 2 सी पी सी आई ए नं.1 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रतिवादी क-1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह ग्राम छोटा के सर्वे नंबर 144, 154, 175 में अपने अंश का बटवारा कराये बिना किसी विनिष्ट भाग को विक्रय न करे और न ही किसी अन्य अंतरण करे। ”






-5- (1) प्र०क० 2915-एक/16 निग०
(2) प्र०क० 2916-एक/16 निग०

जब मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 38 ए/14 ई०दी० संस्थित दिनांक 2-5-16 में हुये आदेश दिनांक 27-8-18 से वादी (आवेदक) का आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 से 2 सी पी सी आई ए नं.1 आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये गये हैं कि जब तक ग्राम छोंदा के सर्वे नंबर 144, 154, 175 में अपने अंश का बटवारा कराये बिना किसी विनिष्ट भाग को विक्रय न करे और न ही किसी अन्य अंतरण करे। माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार को बटवारा कार्यवाही करने से निषेधित नहीं किया है जिसके कारण द्वारा तहसीलदार मुरैना द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 11-8-20016 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 13 अ-27/ 2015-16 एवं 14 अ-27/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11-8-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं एवं दोनों निगरानी प्रकरण निरस्त किये जाते हैं ।




(एम०के०सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर